सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. : 03/2018 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2018/00004

अनवान

1. श्री खेमराज पिता मोड़ीलाल दर्जी, निवासी– झाड़ोल पूजा नगर, तहसील झाड़ोल।

–प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल

– विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध प्रकरण सं. 16/2013 न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल आदेश दिनांक 02.12.17

* निर्णय *

दिनांक – 04-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर मुकदमा संख्या 16 / 2013 निर्णय दिनांक 02.12.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.07.2013 को गठित टीम द्वारा मौजा झाडोल, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 626, 3392 / 626 एवं आराजी संख्या 3483 / 626 का मौका देखकर मौका पर्चा बनाया गया व इन आराजीयात पर सीमांकन कार्यवाही करते हुए आराजी नं. 305 की दक्षिणी पूर्वी एवं आराजी संख्या 307 के पश्चिमी कोने पर मुस्तिकील बिन्दु कायम कर जमीन का सीमांकन किया गया। इसी प्रकार आराजी संख्या 626 की सीमांकन कार्यवाही की जाकर सीमांकन कार्य किया गया। सीमांकन के बाद आराजी संख्या 626 व 3392 / 626 में किये गये अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए सूची तैयार की गयी इसमें खेमराज के अतिरिक्त मांगीलाल, पन्नालाल व अन्य 30 व्यक्तियों का नाजायज कब्जा होना बताया गया तथा उनमें मात्र अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही की गयी। खेमराज का कब्जा आराजी संख्या 626 में 0.4000 हेक्टेयर व आराजी संख्या 3392 / 626 में 0.0710 हेक्टेयर पर नाजायज कब्जा बताया गया। आराजी संख्या 3392 / 626 में अपीलान्ट का इन्च मात्र भूमि पर नाजायज कब्जा नही है व नाजायज कब्जा न होते हुए भी तहसीलदार के आदेश की पालना में गठित टीम द्वारा गलत रिपोर्ट कर दिये जाने से आराजी संख्या 3392 / 626 में अपीलान्ट का 0.0710 हेक्टेयर पर नाजायज कब्जा मानते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पेण्डिंग होते हुए भी तहसीलदार ने बेदखली का आदेश पारित किया है। इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा आराजी संख्या 626 के संबंध में जारी नोटिस में 0.3000 हेक्टेयर भूमि का वर्णन किया गया परन्तु तहसीलदार ने आदेश

0.4000 हेक्टेयर के संबंध में पारित किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट का आराजी संख्या 3392/626 पर अतिक्रमण न होकर आराजी संख्या 626 मूल आराजी पर 0.4000 हेक्टेयर पर अपीलान्ट का पुराना नाजायज कब्जा 1983 से चला आ रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा प्रथम अपील खारिज कर दी गयी थी, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा अपीलान्ट की द्वितीय अपील स्वीकार कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार झाडोल को प्रतिपेषित कर नियमन के संबंध में पात्रता की जांच के आधार पर रिमाण्ड किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य सबूत पुराने कब्जे पेश किये एवं तहसीलदार द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रकरण नियमन हेतु प्रेषित किया जायेगा, किन्तु अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 02.12.2017 को नियमन की पात्रता न रखने बाबत आदेश दिया एवं अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किये कि नियमन हेतु नियमानुसार वर्ष 2000 से लगातार कब्जा होना चाहिए एवं खेमराज का सन् 2000 से निरन्तर कब्जा काश्त नहीं है एवं नियमन की पात्रता नहीं रखता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश नियम विरूद्ध एवं गलत तरीके से पारित किया है, जबकि अपीलान्ट का कब्जा वर्ष 1983 से आज दिनांक तक निरन्तर चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने के संबंध में दिनांक 18.10.1985 के सूचना पत्र में भी साबिक आराजी संख्या 604 पर नाजायज कब्जा होना दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त आराजीयात पर पुराना नाजायज कब्जा अपीलान्ट का होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया बेदखली आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार झाडोल का आदेश दिनांक 02.12.2017 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 16/2013 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुये अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मामले में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दोषपूर्ण बताया एवं माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा दिये गये निर्णय में पारित बिन्दुओं को दृष्टिगत न रखते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना अवगत कराया। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

आर.एल.डब्ल्यू. 2008 (1) आर.जे. पृष्ठ 670

मामले में राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए अपीलान्ट को सरकारी भूमियों पर कब्जा करने का आदि बताया तथा अवगत कराया कि तहसीलदार द्वारा गठित टीम द्वारा सीमांकन उपरान्त आराजी संख्या 626 एवं 3392/626 पर किये गये अतिक्रमण की रिपोर्ट उपरान्त अपीलान्ट को बेदखल करने का पूर्व में आदेश पारित किया गया था। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के नियमन पात्रता की जांच की गयी तथा अतिक्रमी

का वर्ष 2000 से निरन्तर कब्जा न होने से अपीलान्ट के नियमन की पात्रता न रखना पाये जाने से मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि न होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2017 यथावत रखे जाने योग्य है। मात्र राजकीय भूमियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने आदी व्यक्ति को अतिक्रमण के आधार पर नियमन योग्य नही माना जा सकता है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, तहसीलदार से प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी की नकल एवं वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। मामले में पूर्व में तहसीलदार झाडोल द्वारा दिनांक 06.11.2013 से प्रकरण संख्या 16/2013 में अपीलान्ट खेमराज पिता मोडीलाल दर्जी को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा प्रथम अपील संख्या 05/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया था, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में द्वितीय अपील संख्या 48/2016 प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2016 में पारित निर्णय द्वारा दोनों न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल को प्रकरण नियमन की पात्रता के संबंध में जांच हेतु रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार, झाडोल द्वारा मामले की सुनवाई की जाकर दिनांक 02.12.2017 को पारित निर्णय में नियमन के योग्य नही माना एवं नियमन के योग्य न पाये जाने से मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की है। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा मात्र नियमन की पात्रता की जांच हेतु प्रकरण तहसीलदार झाडोल को प्रति प्रेषित किया है। मात्र कब्जे के आधार पर किसी भी राजकीय भूमि को नियमन योग्य नही माना जा सकता है। तहसीलदार द्वारा की गयी नियमन संबंधी जांच में किसी प्रकार की त्रुटि प्रथम दृष्टया नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण संख्या 16/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 02.12.2017 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार झाडोल को निर्देश दिये जाते है कि बिलानाम राजकीय भूमियों पर यदि और भी कब्जे है तो उन्हें भी चिन्हित किया जाकर नियमानुसार मौके से बेदखली की कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर